न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2022, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. जगदीश पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम राजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति सरिता मल्होत्रा सहायक कलेक्टर लालसोट जिला दौसा।
2. केसरा पुत्र दूल्या जाति मीना निवासी राजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा उनवानी जगदीश बनाम केसरा, न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा मुकदमा नम्बर 310/21

उपस्थिति : श्री मुकुट बिहारी शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक 27.04.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के समक्ष एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी प्रकरण जगदीश बनाम केसरा विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण का फैसला प्रतिवादी केसरा के पक्ष में करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी दी जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी उक्त प्रकरण में रूचि दर्शाते हुए प्रकरण में मिन प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर नही दे रहे है व प्रार्थी की पूर्ण सुनवाई किये बिना ही प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कतई कोई उम्मीद नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट से प्रकरण के सम्बन्ध में बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अति॰ जिला कलक्टर
दौसा

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण का फैसला प्रतिवादी केसरा के पक्ष में करने पर आमादा है क्योंकि न्यायालय में तारीख पेशी प्रतिवादी के कहने के अनुसार ही दी जाती है तथा प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की जाती है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजदीकी तारीख पेशीयां दी जा रही है। प्रतिवादी केसरा गांव में ऐलानिया कहता घूम रहा है कि फैसला तो उसके पक्ष में होगा कोई भी मुकदमे में हरा नही सकता। प्रार्थी ने दिनांक 24.3.2022 को वादी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बाहर निकलते देखा था। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी उक्त प्रकरण मे रूचि दर्शाते हुए प्रकरण में मिन प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर भी नहीं दे रहे है व प्रार्थी को पूर्ण सुनवाई किये बिना ही प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा हो रहे है। यदि उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय मे तुरन्त स्थानान्तरित नहीं किया गया तो प्रार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई किया जाना आवश्यक है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर लालसोट में विचाराधीन प्रकरण वाद उनवानी जगदीश बनाम केसरा को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निवेदन किया गया कि सहायक कलक्टर लालसोट के न्यायालय में दावा स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी जगदीश बनाम केसरा विचाराधीन है। प्रकरण में प्रार्थी जगदीश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस न्यायालय में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के निस्तारण में बाधा डालने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी जगदीश पुत्र गोविन्दा का उद्देश्य मात्र अप्रार्थी को हैरान व परेशान करना एवं प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जाना है। प्रार्थी द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु कोई औचित्यपूर्ण तथ्य पेश नहीं किये गये है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप मनगढंत एवं आधारहीन है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर लालसोट द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार होना व्यक्त किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का उद्‌देश्य अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में येन–केन प्रकारेण विलम्ब किया जाना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट में विचाराधीन दावा स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 310/2021 उनवानी जगदीश बनाम केसरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा